

कार्यालय आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर (राजस्व) म.प्र.

आदेश

क्रमांक/सं. / 2020 / 438

जबलपुर दिनांक : 15.05.2020

डॉ. रामनरेश पटेल असिस्टेंट प्रोफेसर शासकीय शिक्षा महाविद्यालय जबलपुर (पी.एस.एम.) दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में निहित अधिकार के अंतर्गत स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा जैसे विभागों में दिव्यांगों हेतु योजनाओं के क्रियान्वयन तथा कोविड-19 कोरोना महामारी से बचाव के लिए संभागीय नोडल अधिकारी दिव्यांग कल्याण के लिए एतद द्वारा नामांकित किया जाता है।

आयुक्त

जबलपुर संभाग जबलपुर

पृष्ठांकन/क्रमांक/सं. / 2020 / 439
प्रतिलिपि-

जबलपुर दिनांक : 15.05.2020

1. सचिव सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण म.प्र.शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संचालक सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण संचालनालय म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जबलपुर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी, मंडला, कटनी, डिंडोरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. अतिरिक्त संचालक क्षेत्रीय उच्च शिक्षा जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
5. प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय (पी.एस.एम.) जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
6. क्षेत्रीय संचालक लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
7. डीन शासकीय चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
8. संयुक्त संचालक/उपसंचालक...../जिला कार्यक्रम अधिकारी/महिला बाल विकास विभाग...../सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग...../जिला शिक्षा अधिकारी..... की ओर सूचनार्थ।
9. संयुक्त संचालक जनसंपर्क विभाग की ओर सूचनार्थ।
10. संबंधित डॉ. रामनरेश पटेल असिस्टेंट प्रोफेसर शासकीय शिक्षा महाविद्यालय जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

आयुक्त

जबलपुर संभाग जबलपुर
(म.प्र.)



कार्यालय आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर (म.प्र.)

पत्र क्रमांक/559/स्था./2020

जबलपुर, दिनांक-17/06/2020

प्रति,

कलेक्टर

बालाघाट, छिंदवाडा, डिंडीरी, जबलपुर

कटनी, मण्डला, नरसिंहपुर, सिवनी (म.प्र.)

विषय - दिव्यांगों के पुनर्वास शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार संबंधी जानकारी भेजने बाबत।

—000—

विषयांतर्गत निर्देशित किया जाता है कि जिले के अंतर्गत सभी विभागों में हितग्राही मूलक जानकारी के योजनांतर्गत लाभान्वितों, दिव्यांगों के संबंध में निम्नानुसार जानकारी इस कार्यालय के विकास शाखा को प्रेषित करें-

- 1- उच्च शिक्षा में अध्ययनरत दिव्यांगों की श्रेणीवार कक्षा सहित छात्र / छात्राओं की छात्रवृत्तियों की संख्यात्मक जानकारी।
- 2- स्कूल शिक्षा के अंतर्गत कक्षा एक से बारहवीं तक अध्ययनरत श्रेणीवार दिव्यांगों की संख्यात्मक जानकारी। दिव्यांगों से संबंधित प्रशिक्षित पदस्थ मोबाईल स्रोत सलाहकार की जनपद शिक्षा / नगर शिक्षा केंद्रवार जानकारी।
- 3- छात्र / छात्राओं की छात्रवृत्ति, परिवहन भत्ता, मार्ग भत्ता, वाचन भत्ता, सहायक उपकरण वितरण की जानकारी।
- 4- दिव्यांगों को जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र के माध्यम से मुहैया कराये गये रोजगार, स्वरोजगार की श्रेणीवार जानकारी।
- 5- सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण के योजनांतर्गत लाभान्वित श्रेणीवार दिव्यांगों के संबंध में सामाजिक सुरक्षा पेंशन, छात्र / छात्राओं की छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन के अंतर्गत लाभान्वित, जिले में जारी किए गए निःशक्तता प्रमाण पत्रों की श्रेणीवार संख्यात्मक जानकारी, निःशक्तता विवाह प्रोत्साहन, दिव्यांगों को वितरित किये गये सहायक उपकरणों की संख्यात्मक जानकारी, विभाग की शासकीय संस्थाओं में शिक्षण- प्रशिक्षण का गत पांच वर्षों की विशेष उपलब्धि हो तो उल्लेख करें।

लीगल गार्जियन शिप कि आज दिनांक तक कितने दिव्यांगों को लीगल गार्जियन शिप दी गई। पांच वर्षों की वर्षवार जानकारी।

- 6- शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, आईटीआई प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे ट्रेड में श्रेणीवार दिव्यांगों की छात्र / छात्राओं की छात्रवृत्ति की जानकारी।

(महेश चन्द्र चावरा)

जबलपुर संभाग, जबलपुर

- 7- तकनीकी शिक्षा अंतर्गत इंजीनियरिंग महाविद्यालय में डिग्री / डिप्लोमा प्राप्त कर रहे दिव्यांगों की श्रेणीवार छात्र / छात्राओं की छात्रवृत्ति की जानकारी।
- 8- चिकित्सा शिक्षा महाविद्यालयों में मेडिकल शिक्षा प्राप्त कर रहे अस्थि बाधित दिव्यांगों की जानकारी।
- 9- दिव्यांगों को Covid-19 कोरोना आपदा से बचाव / राहत/रोकथाम हेतु किये गये उपायों की स्थिति की जानकारी।
- 10- जिले में संचालित जिला निःशक्त पुनर्वास केंद्रों की जानकारी तथा पंजीकृत लाभान्वित श्रेणीवार दिव्यांगों की जानकारी एवं जिला स्तर के कार्यालय/ विभागों में पदस्थ श्रेणीवार प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी दिव्यांग अधिकारी/ कर्मचारियों की संख्यात्मक पदवार जानकारी।

उपरोक्त बिंदुवार जानकारी प्रपत्र पर तैयार कर एक सप्ताह के अंदर भिजवाना सुनिश्चित करें।

कमिश्नर

(जबलपुर संभोग, जबलपुर)

जबलपुर

जबलपुर संभोग, जबलपुर

पृ.पत्र क्रमांक / 559A /स्था./2020

जबलपुर दिनांक 17/06/2020

1. सचिव मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण मध्यप्रदेश भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित

कमिश्नर

(जबलपुर संभोग, जबलपुर)

जबलपुर

जबलपुर संभोग, जबलपुर

सर्व शिक्षा एवं स्कूल शिक्षा विभाग में अभ्ययनरत दिव्यांगों की संबंधित संख्यात्मक जानकारी

क्र.	जिला का नाम	दिव्यांग श्रेणी	सर्व शिक्षा में अभ्ययनरत दिव्यांगों संख्या	सर्व शिक्षा प्राप्त करने वाले दिव्यांगों को प्राप्त होने वाली छात्रवृत्तियाँ एवं अन्य सहायता राशियाँ	स्कूल शिक्षा में अभ्ययनरत दिव्यांगों संख्या	स्कूल शिक्षा प्राप्त करने वाले दिव्यांगों को प्राप्त होने वाली छात्रवृत्तियाँ एवं अन्य सहायता राशियाँ
1		अल्प दृष्टि				
2		दृष्टि दूरी				
3		अध्रुव दृष्टि				
4		मानसिक/बहुदिव्यांग				
योग						

प्रपत्र-2

एम्स शिक्षा एवं समुदाय शिक्षा विभाग में अध्ययनरत दिव्यांगी की परिलक्षितों बाबत श्रेणीवार संख्यात्मक जानकारी

क्र.	शिक्षा का स्तर	दिव्यांग श्रेणी	आवृत्ति	परिवहन सहायता	मार्ग सहायता	आवास सहायता	सहायक उपकरण वितरण
1		जन्मि बाधित					
2		दृष्टि बाधित					
3		श्रवण बाधित					
4		मानसिक / बहुदिव्यांग					
		योग					

प्रपत्र-3

दिव्यांगों से संबंधित प्रशिक्षित पदस्थ मोबाइल छोट सलाहकारों की संख्यात्मक जानकारी

क्र.	जिला का नाम	दिव्यांग श्रेणी	प्रशिक्षित मोबाइल छोट सलाहकारों की जानकारी
1		अस्थि बाधित	
2		दृष्टि बाधित	
3		श्रवण बाधित	
4		मानसिक / बहुदिव्यांग	
		योग	

दिव्यांगों को तीगल गार्जियन शिप दिये जाने की जानकारी

क.	जिला का नाम	दिव्यांग श्रेणी	दिगत पाँच वर्षों में तीगल गार्जियन शिप में नियुक्ति की जानकारी
1		अस्थि बाधित	
2		दृष्टि बाधित	
3		श्रवण बाधित	
4		मानसिक / बहुदिव्यांग	
योग			

प्रपत्र-7

जिला नि:शक्त पुनर्वास केंद्रों की सख्यात्मक जानकारी

क्र.	जिला का नाम	दिव्यांग श्रेणी	जिले में संचालित नि:शक्त पुनर्वास केंद्रों की संख्या	पंजीकृत लाभान्वित दिव्यांगों की जानकारी	जिला स्तर पर पदस्थ दिव्यांग अधिकारियों / कर्मचारियों की जानकारी				
					प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	तृतीय श्रेणी	अन्य श्रेणी	
1		अस्थि बाधित							
2		दृष्टि बाधित							
3		श्रवण बाधित							
4		मानसिक / बहुदिव्यांग							
		योग							



कार्यालय : 0761-2679000
ई.पी.बी.एक्स. : 0761-2970171
फैक्स : 0761-2679617
ई-मेल : commjabalpur@mp.gov.in

कार्यालय कमिश्नर
जबलपुर संभाग, जबलपुर

क्रमांक. 762
वि-6

जबलपुर दिनांक 14/08/2020

प्रति,

- 1- अधीक्षक, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस मेडिकल चिकित्सालय जबलपुर
- 2- अधीक्षक, मेडिकल चिकित्सालय, छिन्दवाड़ा
- 3- समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जबलपुर संभाग

विषय- कोरोना से संक्रमित दिव्यांगों के लिए प्राथमिकता के आधार पर चिकित्सा सुविधा तथा बैड उपलब्ध कराने के संबंध में।

वर्तमान में वैश्विक कोरोना संकट के दौरान दिव्यांग कोरोना के संक्रमण से प्रभावित हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए दिव्यांगों के लिए जिलों में विशेष पहल सुनिश्चित कराई जाये। दिव्यांग कोरोना से संक्रमित न हों, इसके लिए पर्याप्त प्रचार-प्रसार एवं प्रावधानित चिकित्सकीय सलाह उपलब्ध कराई जाये। यदि कोई दिव्यांग कोरोना से प्रभावित हो गया है, तब ऐसे दिव्यांग को प्राथमिकता के आधार पर भरती करने की व्यवस्था की जाये। अस्पतालों में बैड उपलब्ध रहें, ऐसी व्यवस्था की जाये तथा प्राथमिकता के आधार पर उपचार की सर्वोत्तम व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाये। कृपया इसे प्राथमिकता प्रदान करें।

(महेश चन्द्र चौधरी)

कमिश्नर,

जबलपुर संभाग

जबलपुर, दिनांक 14 अगस्त, 2020

प.क्र. 1 763 /2020
वि-6

प्रतिलिपि डॉ. रामनरेश पटेल, संभागीय नोडल अधिकारी दिव्यांग कल्याण,
पी.एस.एम. कालेज, जबलपुर की ओर सूचनार्थ।

(महेश चन्द्र चौधरी)

कमिश्नर,

जबलपुर संभाग



कार्यालय : 0761-2679000
ई.पी.बी.एक्स. : 0761-2970171
फैक्स : 0761-2679617
ई-मेल : commjabalpur@mp.gov

कार्यालय कमिश्नर
जबलपुर संभाग, जबलपुर

क्रमांक 766/चि.शा.1/20

जबलपुर दिनांक 14/08/20

प्रति,
आयुक्त,
नगरपालिक निगम,
जबलपुर

विषय- दिव्यांगों को पेट्रोल चलित एक्टिवा वाहन देने के संबंध में।

दिव्यांग संघर्ष समिति के तत्वाधान में दिनांक 13 अगस्त, 2020 को मेरे समक्ष इस आशय का जापन प्रस्तुत किया गया कि दिव्यांगों को बैटरी चलित ट्राई साइकिल निगम के द्वारा उपलब्ध कराई गई थी। बैटरी चलित ट्राई साइकिल को रिपेयरिंग करने की कोई सुविधा वर्तमान में नहीं है। इस कारण से इनको पेट्रोल चलित एक्टिवा में रिप्लेस किया जाना आवश्यक है। जापन इस पत्र के साथ संलग्न है। दिव्यांगों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए निगम के बजट के अंतर्गत जापन पर प्रस्ताव तैयार किया जाये और उसे स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाये।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(महेश चन्द्र चौधरी)
कमिश्नर,

जबलपुर संभाग
जबलपुर, दिनांक 14 अगस्त, 2020

प.क्र. 767/चि.शा.1/2020

प्रतिनिधि-

- 1- डा. रामनरेश पटेल, संभागीय नोडल अधिकारी दिव्यांग कल्याण, पी.एस.एम. कालेज, जबलपुर की ओर सूचनार्थ।
- 2- श्री देवेन्द्र सोनी, अध्यक्ष, दिव्यांग संघर्ष समिति, कार्यालय बल्देवबाग चौक, पुरानी नवीन प्रेस के पास जबलपुर की ओर सूचनार्थ।

(महेश चन्द्र चौधरी)
कमिश्नर,
जबलपुर संभाग

कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग, जबलपुर

क्रमांक / 793 / विकास शाखा / 2020
प्रति,

जबलपुर, दिनांक 17 अगस्त 2020

कलेक्टर,
जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, छिंदवाड़ा,
डिण्डौरी, मण्डला, बालाघाट, सिवनी।

विषय :- दिव्यांगजनों के कल्याणार्थ योजनाओं / कार्यक्रमों का त्वरित क्रियान्वयन।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक 559 दिनांक 17/06/2020

—0—

उपरोक्त विषय में लेख है कि दिव्यांगजनों के पुनर्वास, शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार तथा अन्य सुविधाओं के संबंध में संदर्भित पत्र के पालन में आपके द्वारा प्रेषित की प्रगति की समीक्षा की गई। दिव्यांगजनों के लिए संचालित योजनाओं / कार्यक्रमों में संवेदनशीलता तथा प्रतिबद्धता से और अधिक कार्य करने की आवश्यकता है।

1. विभिन्न विभागों में कार्यरत शासकीय/संविदा कर्मचारियों तथा सेवानिवृत्त पेंशनभोगी अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों तथा अन्य स्वत्वों, समयमान वेतनमान आदि के लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जावे।
2. स्कूल शिक्षा तथा उच्च शिक्षा विभाग में अध्ययनरत दिव्यांगों को छात्रवृत्ति, परिवहन भत्ता, वाचन भत्ता, सहायक उपकरण आदि प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करें।
3. अन्य दिव्यांगजनों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, उपकरण, दिव्यांग प्रमाण पत्र, विवाह प्रोत्साहन, स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण आदि कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
4. मानसिक तथा बहुदिव्यांगजनों की लीगल गार्जिनियनशिप की नियुक्ति की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
5. जिला निःशक्तजन पुनर्वास केन्द्रों का विधिवत संचालन किया जाये। रिक्त पदों की पूर्ति तथा जिला व्यापार उद्योग केन्द्र से रोजगार व स्वरोजगार प्रदाय करने की दिशा में प्रभावी कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वयन किया जाये।
6. अन्य विभागों की योजनाओं/कार्यक्रमों में दिव्यांगजनों के हितार्थ प्रावधान किये गये है। तदनुसार दिव्यांगजनों को लाभांशित किया जाये।

उपरोक्तानुसार सभी जिले दिव्यांगजनों के कल्याण एवं पुनर्वास के लिए समेकित कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वयन किया जाना सुनिश्चित करें।

(महेश चन्द्र चौधरी)
कमिश्नर

जबलपुर संभाग

जबलपुर, दिनांक 17 अगस्त 2020

पृष्ठां. क्रमांक / 793A / विकास शाखा / 2020
प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, तुलसीनगर भोपाल को सूचनार्थ।
2. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क, जबलपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. संयुक्त संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, जबलपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. उप संचालक (समस्त) सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण, जबलपुर संभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(महेश चन्द्र चौधरी)
कमिश्नर

जबलपुर संभाग